राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. आपराधिक विविध (पे.) संख्या 6529/2024

1. कलावती पुत्री भगवाना राम, उम्र लगभग 52 वर्ष, निवासी ग्राम बिंझबायला, तहसील पदमपुर, जिला श्री गंगानगर,राजस्थान।
2. कौशैया देवी पुत्री भगवाना राम, उम्र लगभग 43 वर्ष, निवासी ग्राम बिंझबायला, तहसील पदमपुर, जिला श्री गंगानगर,राजस्थान।
3. भगवानाराम पुत्र सदासुख, उम्र लगभग 73 वर्ष, निवासी ग्राम बिंझबायला, तहसील पदमपुर, जिला श्री गंगानगर,राजस्थान।

----अपीलार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, पीपी के माध्यम से
2. राम कुमार पुत्र भगवाना राम, निवासी वार्ड नंबर 18, चौटाला, जिला सिरसा, हरियाणा

----प्रतिवादीगण

अपीलार्थी(गण) के लिए : श्री डी.एस. घड़साना

प्रतिवादी(गण) के लिए : सुश्री सोनू मनावत, पीपी

श्री एच.आर. चावला - आर/2

माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

<u>आदेश (मौखिक)</u>

<u>25/09/2024</u>

1. 73 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक पिता (याचिकाकर्ता संख्या 3) अपने बेटे यानी प्रतिवादी संख्या 2 (शिकायतकर्ता) और उसकी दो बेटियों यानी याचिकाकर्ता संख्या 1 और 2 (शिकायतकर्ता की बहनें) के खिलाफ़ खड़ा है, जो एक पारिवारिक विवाद प्रतीत होता है जिसे आपराधिक दोष का रंग दिया जा रहा है। इसके बारे में बाद में और अधिक जानकारी दी जाएगी। याचिकाकर्ता आई पी सी की धारा 420 के तहत कथित अपराध के लिए पी एस पदमपुर, जिला गंगानगर में दिनांक 02.09.2024 को दर्ज की गई एफ आई आर संख्या 258/2024 को रद्द करने की मांग कर रहे हैं।

2. संक्षेप में कहें तो याचिका में बताए गए प्रासंगिक तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता संख्या 3 (शिकायतकर्ता के पिता) के पास चक 45 एलएनपी प्रथम में 1.999 हेक्टेयर और चक 45 एलएनपी द्वितीय में 1.227 हेक्टेयर जमीन के दो टुकड़े हैं। इसमें कहा गया है कि 31 दिसंबर 2021 को याचिकाकर्ताओं के भाई रणवीर ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 और 188 के तहत एसडीएम के समक्ष बंटवारे के लिए राजस्व वाद दायर किया, जिसमें उसके भाई ने अपने पिता, दो बहनों और अपने भाई यानी शिकायतकर्ता को प्रतिवादी बनाया। इसके बाद उसके भाई (रणवीर) ने याचिकाकर्ताओं की मदद से सभी प्रतिवादियों (शिकायतकर्ता सहित) की ओर से 10 जनवरी 2022 को समझौता आवेदन दायर किया। समझौता आवेदन में उसने शिकायतकर्ता के जाली हस्ताक्षर किए। इसके अनुसरण में, एसडीएम ने दिनांक 18.01.2022 के आदेश द्वारा वाद का निराकरण किया। परिणामस्वरूप, पिता के स्वामित्व वाली चक 45 एलएनपी प्रथम की संपूर्ण भूमि उसके भाई रणवीर के नाम पर कर दी गई।

2.1 प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दिनांक 02.09.2024 को दर्ज पुलिस शिकायत पर, वर्तमान याचिकाकर्ताओं और भाई रणवीर सहित अन्य के खिलाफ पुलिस स्टेशन पदमपुर, जिला श्री गंगानगर में आईपीसी की धारा 420 के तहत अपराध के लिए एफआईआर संख्या 258/2024 दर्ज की गई।

3. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, मैंने याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील के साथ-साथ विद्वान लोक अभियोजक और शिकायतकर्ता के विद्वान वकील को सुना है।

4. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि एफआईआर में याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए किसी भी अपराध का खुलासा नहीं किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि एफआईआर याचिकाकर्ताओं को नुकसान पहुंचाने और विवादित भूमि पर कब्जा करने के उद्देश्य से दर्ज की गई है। एफआईआर को बरकरार रखने से स्पष्ट अन्याय होगा, जिसके लिए इसे रद्द किया जाना चाहिए।

5. विद्वान सरकारी वकील ने याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों का विरोध किया और कहा कि इस न्यायालय को इसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है और कानून अपना काम करेगा।

6. यह पता चला है कि बहनें और पिता इस न्यायालय के समक्ष हैं और किसी भी मामले में जालसाजी का आरोप भाई के खिलाफ है। इसलिए, बहनों या पिता में से किसी की भी कोई भूमिका नहीं है। इसके अलावा, यह पता चला है कि भले ही आरोप सही माना जाए, लेकिन यह माना जाता है कि न तो बहनों और न ही पिता को कथित जालसाजी से कोई लाभ है। इसके अलावा, यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह

है कि शिकायतकर्ता का मामला यह है कि पिता संपत्ति का एकमात्र मालिक है और हस्ताक्षरों को जाली बनाने के लिए साजिशकर्ता बनकर उसे कैसे लाभ हुआ, यह भी इस न्यायालय को आश्चर्यचकित करता है कि पिता पर आपराधिक दोष कैसे लगाया जा सकता है। इसलिए, एफआईआर याचिकाकर्ताओं के खिलाफ प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के अलावा और कुछ नहीं है।

7. इसके अलावा, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि उसके भाई रणवीर ने एक विभाजन मुकदमा दायर किया, जिसमें दावा किया गया कि समझौता आवेदन पर शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर जाली थे। हालाँकि, यह दावा इस बात को रेखांकित करता है कि याचिकाकर्ताओं का संबंधित दस्तावेजों से कोई संबंध नहीं था।

8. यदि अभियोजन पक्ष का कथन स्वीकार भी कर लिया जाए, तो भी यह पता चलता है कि कथित जाली हस्ताक्षर का उपयोग एस.डी.एम. पदमपुर के समक्ष प्रस्तुत आवेदन में किया गया था। इससे पता चलता है कि शिकायतकर्ता के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं की गई। इसके अलावा, शिकायतकर्ता ने किसी भी कथित जालसाजी के संबंध में एस.डी.एम. के समक्ष कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई। सीआरपीसी की धारा 340 और 195 के तहत, केवल एस.डी.एम. या कोई अन्य सक्षम अधिकारी ही जांच के बाद कार्रवाई शुरू कर सकता है।

9. राणा राम बनाम राजस्थान राज्य के मामले में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का भी संदर्भ लिया जा सकता है, जिसका प्रासंगिक विवरण नीचे दिया गया है:-

> "22.2. त्वरित संदर्भ के लिए, धारा 420 आईपीसी को भी नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:-
>
> > "धारा 420 धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति का वितरण करने के लिए प्रेरित करना जो कोई भी धोखा देता है और इस प्रकार बेईमानी से प्रेरित करता है कि जिस व्यक्ति को धोखा दिया गया है, वह किसी व्यक्ति को कोई संपत्ति सौंप दे, या किसी मूल्यवान प्रतिभूति या किसी ऐसी चीज को जो हस्ताक्षरित या सीलबंद है और जिसे मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित किया जा सकता है, उसके पूरे या किसी हिस्से को बना, बदल या नष्ट कर दे, तो उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि सात वर्ष तक हो सकती है, और जुर्माना भी देना होगा।"

उपरोक्त धारा 420 आईपीसी को भारतीय न्याय संहिता, 2023 में धारा 318 (4) के रूप में यथावत रखा गया है और निम्नानुसार पढ़ा जाता है:-

> "318. धोखाधड़ी -
>
> (4) जो कोई धोखा देता है और इस प्रकार बेईमानी से धोखा दिए गए व्यक्ति को किसी व्यक्ति को कोई संपत्ति सौंपने, या किसी मूल्यवान प्रतिभूति या किसी हस्ताक्षरित या सीलबंद वस्तु को बनाने, बदलने या नष्ट करने के लिए प्रेरित करता है, और जो मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित होने में सक्षम है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि सात वर्ष तक हो सकती है, और जुर्माना भी देना होगा।

22.3. इस प्रकार, उक्त प्रावधान में यह परिकल्पना की गई है कि धोखाधड़ी का कार्य, जहां कोई व्यक्ति किसी को धोखा देता है, ऐसा होना चाहिए, जिसके द्वारा धोखा दिए गए व्यक्ति को निम्नलिखित के लिए प्रेरित किया जाता है:

- किसी अन्य व्यक्ति को कोई संपत्ति सौंपना।
- किसी मूल्यवान प्रतिभूति को बनाना, बदलना या नष्ट करना।
- हस्ताक्षरित, सीलबंद और मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित होने में सक्षम किसी भी वस्तु को संशोधित या नष्ट करना।

इस प्रकार प्रावधान दूसरों को संपत्ति से अलग करने या मूल्यवान दस्तावेजों को बदलने के लिए छल का उपयोग करने के गंभीर परिणामों पर प्रकाश डालता है।

10. वर्तमान मामले में भी, भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के कोई तत्व नहीं पाए गए हैं। इस प्रकार, विचाराधीन एफआईआर इस न्यायालय की न्यायिक जांच में टिक नहीं पाती है।

11. परिणामस्वरूप, याचिका स्वीकार की जाती है। पी.एस. पदमपुर, जिला गंगानगर में पंजीकृत एफआईआर संख्या 258/2024, दिनांक 02.09.2024 को याचिकाकर्ताओं के कारण रद्द किया जाता है।

12. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का भी निपटारा किया जाता है।

(अरुण मोंगा),जे

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।
अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।